

न्यायालय:- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी, जिला अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-साजिद मोहम्मद)

व्यवहारवाद क्रमांक-22ए/2016

संस्थित दिनांक- 28.10.2015

Filling no- 235103002362015

01.	लाखन पुत्र रगवर आयु 40 साल जाति पाल धंधा खेती
02.	बृगभान पुत्र रगवर आयु 39 साल जाति पाल धंधा खेती
03.	रामचरण पुत्र रगवर आयु 35 साल जाति पाल धंधा खेती
04.	सुरेश पुत्र रगवर आयु 30 साल जाति पाल धंधा खेती
05.	त्रिलोक पुत्र रगवर आयु 25 साल जाति पाल धंधा खेती
06.	सोना पुत्री रगवर आयु 32 साल जाति पाल धंधा खेती
07.	जनक पुत्री रगवर आयु 23 साल जाति पाल धंधा खेती
08.	रतीबाई विधवा रगवर आयु 70 साल जाति पाल
09.	मानसिंह पुत्र मल्हू आयु 40 साल जाति पाल धंधा खेती
10.	राकेश पुत्र मल्हू आयु 26 साल जाति पाल धंधा खेती
11.	अचल पुत्री मल्हू आयु 30 साल जाति पाल
12.	ममता पुत्री मल्हू आयु 28 साल जाति पाल
13.	राजकुमारी पुत्री मल्हू आयु 28 साल जाति पाल
14.	बृजकुमारी पुत्री मल्हू आयु 24 साल जाति पाल
15.	फूलाबाई विधवा मल्हू आयु 60 साल जाति पाल
	समस्त निवासीगण:- ग्राम बरोदिया तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
वादीगण
	विरुद्ध

01.	रामसेवक पुत्र नारायण आयु 40 साल जाति लोधी
02.	शीतल पुत्र बहोरे आयु 50 साल जाति लोधी
03.	मनोहर पुत्र श्रीलाल आयु 30 साल जाति लोधी
04.	विजय सिंह पुत्र श्रीलाल आयु 25 साल जाति लोधी
05.	हरचरण पुत्र कोमल आयु 26 साल जाति लोधी
06.	सतीश पुत्र कोमल आयु 23 साल जाति लोधी
07.	महेन्द्र पुत्र कोमल आयु 20 साल जाति लोधी
08.	धनमति पुत्र कोमल आयु 30 साल जाति लोधी
09.	मुन्नीबाई विधवा कोमल आयु 60 साल जाति लोधी
	समस्त निवासीगण ग्राम बामौर हुरा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
प्रतिवादीगण
10.	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला अशोकनगर
औपचारिक प्रतिवादी

-----:: / / निर्णय / / ::-----

{आज दिनांक:- 31.07.2017 को घोषित किया गया}

01— यह दावा वादीगण की ओर से ग्राम बामौर हुरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र0 42/1 रकबा 1.000 है0 भूमि (जिसे आगामी पदों में सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) पर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं उक्त विवादग्रस्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अंकित कराने हेतु प्रस्तुत किया है।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 तथा कोमल पुत्र बोहरे के नाम अंकित होना एवं कोमल की मृत्यु होना स्वीकृत तथ्य है।

03— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बामौर हुरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 42/1 रकबा 1.000 है० भूमि वर्तमान में प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 तथा कोमल पुत्र बोहरे के नाम अंकित है, कोमल की मृत्यु हो गई है। वादीगण की उत्तम जानकारी में प्रतिवादी क्र० 5 लगायत 9 मृतक कोमल के उत्तराधिकारी है। विवादग्रस्त भूमि का पट्टा तहसीलदार चंदेरी द्वारा परम पुत्र दरउ गडरिया निवासी ग्राम बामौर हुरा का स्वीकृत किया गया है कब किस दिनांक को तथा किस प्रकरण द्वारा स्वीकार किया गया था वादीगण को जानकारी न होना प्रकट किया है। परम के कोई पत्नी एवं संतान नहीं थी और परम की मृत्यु के उपरांत उसका एक मात्र उत्तराधिकारी उसका भाई कल्ला पुत्र डमरू होने से विवादग्रस्त भूमि पर नामांतरण पंजी क्रमांक 71 आदेश दिनांक 01.04.1991 से कल्ला का नामांतरण स्वीकार किया गया है। नामांतरण पंजी क्रमांक 73 के आदेश दिनांक 14.06.91 से कल्ला को वादग्रस्त भूमि का अहस्तांतरणीय भूमि स्वामी घोषित किया गया। कल्ला की भी मृत्यु हो गई है। वादीगण कल्ला के एकमात्र उत्तराधिकारी है।

04— कल्ला ने वादग्रस्त भूमि पर आजीवन कृषि की तथा कल्ला की मृत्यु के बाद से आज तक वादीगण वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व स्वामित्व तथा आधिपत्यधारी है। कल्ला वादग्रस्त भूमि का अहस्तांतरणीय भूमि स्वामी है। भूमि शासकीय पट्टे की थी तथा किसी भी दशा में वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र जिलाधीश महोदय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता तथा कल्ला ने किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र संपादित नहीं किया। प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 तथा कोमल ने राजस्व कर्मचारी तथा उप पंजीयक से मिलकर किसी अन्य व्यक्ति को कल्ला प्रकट कर वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 07.08.92 को प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 तथा कोमल के नाम संपादित करा लिया और नामांतरण भी करवा लिया। जबकि कल्ला ने कोई विक्रय पत्र संपादित नहीं किया है और उक्त विक्रय पत्र विधि के विपरीत होने के कारण शुन्य है और नामांतरण भी शून्य है और इस प्रकार के समव्यवहार से प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 तथा मृतक कोमल को कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 तथा मृतक कोमल ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर अहस्तांतरणीय शब्द भी गलत रूप से विलोपित करवा लिया है।

05— दिनांक 21.11.2014 को वादी क्र० 1 व 2 वादग्रस्त भूमि पर थे तब प्रतिवादी रामसेवक तथा मनोहर ने वादीगण से कहा कि अब वादीगण वादग्रस्त भूमि छोड़ दें क्योंकि वादग्रस्त भूमि के स्वामी प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 तथा कोमल हैं और राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि उनके नाम है तब वादीगण ने कहा कि वे वादग्रस्त भूमि के मालिक हैं कब्जा नहीं छोड़ेंगे तथा वादीगण ने दिनांक 22.11.14 को तहसील चंदेरी की कम्प्यूटर शाखा से वादग्रस्त भूमि की खसरा की नकल प्राप्त की जिसके

अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 के साथ कोमल के नाम अंकित होने की जानकारी प्राप्त हुई।

06— वाद कारण दिनांक 21.11.2014 को प्रतिवादी रामसेवक तथा मनोहर द्वारा वादग्रस्त भूमि के वादीगण के नाम अंकित न होने की जानकारी देने तथा दिनांक 22.11.14 को वादग्रस्त भूमि की खसरा की नकल प्राप्त करने से उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम बामौर हुरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 42/1 रकबा 1.000 है० भूमि के स्वामित्व व आधिपत्य की है पर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं उक्त विवादग्रस्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकित कराने हेतु प्रस्तुत किया है।

07— प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 9 की ओर से स्वीकृत तथ्यों के अलावा जबाब दावे में व्यक्त किया कि वादीगण ने उक्त भूमि को व्यर्थ ही विवादग्रस्त भूमि बनाया है जबकि वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। वादग्रस्त भूमि का पट्टा कब और किसे स्वीकृत किया एवं परम गडरिया की कोई पत्नी या संतान थी या नहीं प्रतिवादीगण को जानकारी नहीं है। कल्ला पुत्र दरउ के नाम वादग्रस्त भूमि का नामांतरण विधिवत स्वीकृत हुआ है तथा प्रतिवादीगण कल्ला पुत्र दरउ से विधिवत भूमि दिनांक 10 अगस्त 1992 को क़य कर कब्जा प्राप्त किया है। एक भूमि स्वामी को जो अधिकार कानूनी रूप से मिलते हैं वे सभी अधिकार कल्ला गडरिया में निहित थे। वादीगण कल्ला के उत्तराधिकारी नहीं है। वादीगण कभी भी ग्राम बामौर हुरा में नहीं रहे हैं और न ही वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व व आधिपत्यधारी है।

08— कल्ला वादग्रस्त भूमि का भूमि स्वामी था। भूमि शासकीय पट्टे की थी या नहीं इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं है और वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र के पंजीकरण के पूर्व जिलाधीश महोदय की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं थी। वादीगण का यह तथ्य है कि प्रतिवादीगण ने किसी अन्य व्यक्ति को कल्ला प्रकट कर वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र का पंजीयन राजस्व कर्मचारी एवं उप पंजीयक से मिलकर गलत तरीके से करा लिया है जो पूर्णतः असत्य है क्योंकि विक्रय पत्र पंजीयन एवं नामांतरण विधिवत हुआ हैं। नामांतरण के विरुद्ध वादीगण को राजस्व न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी जोकि वादीगण द्वारा नहीं की गई थी। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 तथा मृतक कोमल ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर राजस्व रिकार्ड में अहस्तातंणीय शब्द विलोपित नहीं कराया है।

09— वादीगण ने बामौर हुरा में आकर कभी भी रिश्तेदारों के सहयोग से वादग्रस्त भूमि पर कृषि नहीं की है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने की याचना की है, इस कारण उन्हें बाजार मूल्य के आधार पर वाद पत्र का मूल्यांकन करना चाहिए था जो नहीं किया गया तथा विक्रय पत्र दिनांक 10.08.

1992 को संपादित किया गया था तभी से वादीगण को विक्रय पत्र की जानकारी थी जिसे लगभग 24 वर्ष हो चुके हैं इस कारण वाद पत्र अवधि बाह्य है। प्रकरण में म0प्र0 शासन को आवश्यक पक्षकार बनाना चाहिए था जो नहीं बनाया गया है तथा प्रकरण में कुसंयोजन एवं असंयोजन का भी दोष है। अतः दावा सब्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

10— प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 10 म.प्र.शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है तथा म0 प्र0 शासन के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही है। प्रतिवादी क्र. 10 को समंस की तामीली के उपरांत अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

11— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :—

1.	क्या वादीगण कल्ला पुत्र दमरू के एकमात्र उत्तराधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या वादीगण ग्राम बामौर हुरा, तहसील चन्देरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 42/1 रकबा 1.000 है0 भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 4 तथा कोमल ने राजस्व कर्मचारियों व उपपंजीयक से मिलकर वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 07.08.1992 को छल पूर्वक अवैध रूप से संपादित करा लिया है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या विक्रय पत्र दिनांक 07.08.1992 वादीगण के स्वत्व के मुकाबले शुन्य व निष्प्रभावी है ?	प्रमाणित नहीं
5.	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम नामांतरण कराने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
6.	क्या प्रस्तुत वाद में असंयोजन व कुसंयोजन का दोष है ?	प्रमाणित नहीं
7.	क्या वादीगण ने प्रस्तुत वाद का उचित मूल्यांकन कर उस पर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित

8.	क्या प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित
9.	सहायता एवं व्यय ?	पैरा 27 के अनुसार दावा निरस्त

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

वाद प्रश्न क्र० 1:-

12- वाद प्रश्न क्र० 1 को साबित करने का भार वादी में निहित है। वादी के अभिवचन अनुसार प्रकरण में 1 लगायत 15 वादी कल्ला पुत्र दरउ के उत्तराधिकारी है, जबकि प्रतिवादीगण ने उसके जबाब दावे के पैरा 1 में वादीगण को कल्ला पुत्र दरउ के उत्तराधिकारी होना स्वीकार नहीं किया है तथा वादीगण द्वारा वंश वृक्ष किस आधार पर बनाया गया है इस संबंध में कोई जानकारी न होना प्रकट की है। इस संबंध में वादी की ओर से प्र.पी. 15 लगायत 32 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जिनमें प्र.पी. 15 के पट्टे में कल्लू आत्मज दरउ, प्र.पी. 16, 17 में मलथू पुत्र कल्लू, प्र.पी. 18 में मलथू एवं रघुवर, प्र.पी. 19 में रघुवर, मलथू पुत्रगण कल्लू गडरिया, प्र.पी. 20 में मलथू पुत्र कल्लू, प्र.पी. 21 में मलथू एवं रघुवर पुत्रगण कल्लू, प्र.पी. 23 मलथू पुत्र कल्लू, प्र.पी. 24, 25 में कल्लू पुत्र दरउ, प्र.पी. 26 में मलथू पुत्र कल्लू, प्र.पी. 27, 28 में कल्ला पुत्र दरउ, प्र.पी. 30 में कल्ला पुत्र दरउ, प्र.पी. 31 के राशन कार्ड में रघुवर पाल पुत्र कल्लू एवं रतिबाई पत्नी रघुवर, सुरेश पुत्र रघुवर, नर्मदा बहू सुरेश, त्रिलोक पुत्र रघुवर, जनक पुत्री रघुवर, रचना बहू त्रिलोक, प्र.पी. 32 में क्रेता के नाम के आगे मलथू, रघुवर पुत्रगण कल्लू एवं प्र.पी. 13 के वोटर आईडी में रघुवर पुत्र कल्लू के नाम पर इन्द्राज है।

13- दावे में 1 लगायत 8 वादीगण के पिता के रूप में रघुवर के नाम का उल्लेख है जबकि वादी क्र० 9 लगायत 15 के नाम के आगे पिता के रूप में मलथू के नाम का उल्लेख है। समस्त वादीगण कल्ला पुत्र दरउ के उत्तराधिकारी है इस तथ्य को साबित करने का भार वादी पर है और वादी की ओर से जो दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं उसमें रघुवर एवं मलथू पुत्रगण कल्लू होना प्रमाणित है तथा वादी की ओर से प्रस्तुत राशन कार्ड वर्ष 2006 में वादी रतिबाई, सुरेश, त्रिलोक, जनक के नाम का उल्लेख है, इसके अलावा वादीगण की ओर से प्रकरण में वादीगण कल्ला पुत्र दरउ के उत्तराधिकारी है ऐसी कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि समस्त वादीगण कल्ला पुत्र दरउ के एकमात्र उत्तराधिकारी है। अतः वाद प्रश्न क्र० 1 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र० 2:-

14- वाद प्रश्न क्र० 2 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। वादीगण का यह अभिवचन है कि ग्राम बामौर हुरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे 42/1 रकवा 1.000 है० भूमि उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की है। वादी साक्षी राकेश ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में व्यक्त किया कि ग्राम बामौर हुरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 42/1 रकवा 1.000 है० का पट्टा तहसीलदार चंदेरी द्वारा परम पुत्र दरउ को स्वीकृत हुआ था। परम तथा कल्लू सगे भाई थे, परम की मृत्यु के बाद वर्ष 1991 में उक्त भूमि परम के स्थान पर कल्लू के नाम नामांतरण स्वीकृत हुआ। परम तथा कल्लू ग्राम बामौर हुरा निवास करते थे। विवादग्रस्त भूमि पट्टे की होकर अहस्तांतरणिय भूमि थी जिसका विक्रय नहीं किया जा सकता था तथा कल्ला उर्फ कल्लू ने भूमि किसी को विक्रय नहीं की है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में प्र.पी. 1 लगायत 33 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिनमें से प्र.पी. 15 लगायत 32 तक के दस्तावेज पहचान संबंधी हैं। वादीगण का विवादग्रस्त भूमि उनके स्वामित्व की होने का मुख्य आधार परम को किया गया पट्टा है जिसका नामांतरण परम की मृत्यु के पश्चात कल्लू उर्फ कल्ला को होना बताया गया है।

15- प्रकरण में वादीगण जिस पट्टे के आधार पर अपने को उक्त विवादग्रस्त भूमि का स्वामी होना बतला रहे हैं उक्त पट्टा वादीगण की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वयं वादी साक्षी राकेश ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने विवादग्रस्त भूमि का पट्टा पेश नहीं किया है तथा उक्त पट्टा परम को किस सन् में हुआ इस बात की भी जानकारी न होना व्यक्त किया। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 के अनुसार**, जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिये गये हो तब, उन सब दशाओं में, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाये, ऐसे संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों के या ऐसा वाद के साबित किये जाने के स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिपूर्व अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य है उनकी अंतवस्तु के द्वितीय साक्ष्य के सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दी जायेगी। अतः ऐसी भूमि के व्ययन के लिये पट्टा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो कि वादी के अनुसार हुआ है, परन्तु यदि उक्त दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है तो उक्त दस्तावेज के माध्यम से हुये समव्यवहार के संबंध में मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं की जा सकती है।

16- वादीगण के अभिवचन अनुसार वादीगण का विवादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य है तथा वादीगण उक्त भूमि पर रिश्तेदारों के माध्यम से कृषि कार्य करते थे किन्तु वादीगण जिन रिश्तेदारों के माध्यम से कृषि कार्य करते थे इस संबंध में कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा स्वयं वादीगण की ओर से

प्रस्तुत खसरा प्र.पी.5 वर्ष 2014-15 प्रस्तुत किया है जिसमें कब्जेदार के रूप में **प्रतिवादी रामसेवक आदि** के नाम का उल्लेख है तथा प्रतिवादी रामसेवक की ओर से प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन प्र.डी.2, सीमांकन पंचनामा प्र.डी.3, सीमांकन रसीद प्र.डी. 4, खसरा सम्वत् 62 लगायत 66 प्र.डी. 6, किस्तबंदी खतौनी प्र.डी.7, खसरा वर्ष 2015-16 प्र.डी.8 में सर्वे न० 42/1 रकवा 1.000 है० भूमि में कब्जेदार के रूप में **प्रतिवादी रामसेवक आदि** के नाम का उल्लेख है। वादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर स्वयं का आधिपत्य दर्शित करने के लिये ग्राम बामौर हुरा के किसी पड़ोसी कृषक की या ग्राम बामौर हुरा के निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की कोई साक्ष्य भी अभिलिखित नहीं कराई है ।

17— वादी साक्षी हरीराम पुत्र करनजू भी ग्राम बामौर हुरा का निवासी नहीं है और वह ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी का निवासी और वह अपने मुख्य परीक्षण में इस बात को स्वीकार करता है कि कल्लू उसका ससुर है तथा रघुवर और मलथू उसके साले हैं, इस प्रकार साक्षी हरीराम एक हितबद्ध साक्षी है इसके अलावा हरीराम वा०सा०2 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस वर्ष विवादग्रस्त भूमि को वादीगण ने किसको बटाई पर दी है तथा उक्त साक्षी का कहना है कि विवादग्रस्त भूमि के चारों तरफ किसके खेत हैं वह नहीं बता सकता। राकेश वा०सा०1 प्रतिपरीक्षण के पैरा 14 में इस बात को स्वीकार किया कि वह कभी विवादग्रस्त भूमि पर नहीं गया, फिर कहा कि वह अपने बड़े भाई लाखन के साथ कभी कभी जाता था। उक्त साक्षी का कहना है कि वह विवादग्रस्त भूमि की चतुर सीमा नहीं बता सकता कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में विवादग्रस्त भूमि से लगकर किसके खेत हैं।

18— स्वयं वादी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि स्वयं वादी को विवादग्रस्त भूमि के संबंध में मूलभूत जानकारी भी नहीं है। इसके अलावा वादीगण जिन बटाईदारों से खेती कराना बता रहे हैं उनमें से किसी के भी कथन आधिपत्य दर्शित करने के लिये न्यायालय के समक्ष नहीं कराए गये हैं। स्वयं वादी का कहना है कि उन लोगों ने ग्राम बामौर हुरा छोड़ दिया है और वर्तमान में वे बरोदिया में रहने लगे हैं तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में बताया कि उनके पिताजी ग्राम बामौर हुरा छोड़कर ग्राम बरोदिया चले गये थे। वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य दर्शित करने के लिये कोई दस्तावेजी सामग्री प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है। प्रकरण में यह विवादग्रस्त नहीं है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी रामसेवक, शीतल, मनोहर, विजय सिंह के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्व और आधिपत्य पर दर्ज है। म०प्र० भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 117 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों की सत्यता की उपधारणा की जावेगी। इस उपधारणा का कोई खण्डन वादीगण की ओर से नहीं किया जा सका है क्योंकि वादीगण की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत

मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादीगण का विवादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य है और स्वामित्व साबित करने के लिये कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः वाद प्रश्न क्र० 2 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र० 3, 4 व 5:-

19— वाद प्रश्न क्र० 3, 4 व 5 एक दुसरे से संबंधित होने व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है। वादी साक्षी राकेश ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में लेख किया कि विवादग्रस्त भूमि कल्ला उर्फ कल्लू ने कोमल अथवा अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय नहीं की, बल्कि रामसेवक, शीतल, विजय सिंह, हरचरण तथा कोमल ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपना नामांतरण करा लिया है जबकि प्रतिवादी साक्षी रामसेवक ने उसके मुख्य परीक्षण में लेख किया है कि विवादग्रस्त भूमि उसके एवं कोमल के वारिसान तथा मनोहर, विजय के खाते की भूमि है। उक्त भूमि कल्ला पुत्र दरउ गडरिया से वर्ष 1992 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा राजस्व दस्तावेजों में उक्त भूमि के भूमिस्वामी प्रतिवादीगण है।

20— प्रतिवादी साक्षी रामसेवक ने उसके पक्ष समर्थन में प्र.डी.1 की विवादग्रस्त भूमि के क्रय करने के संबंध में मूल रजिस्ट्री प्रस्तुत की है जिसमें विवादग्रस्त भूमि कल्ला पुत्र दरउ गडरिया द्वारा रामसेवक, कोमल, शीतल, मनोहर, विजय सिंह ग्राम बामौर हुरा को 17 हजार रुपये में क्रय किये जाने का उल्लेख है। वादी की ओर से **न्याय दृष्टांत जोसेफ वि० बेरोनिका 2013(3) एम.पी.एल.जे** प्रस्तुत किया है जिसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 से 65, 67 एवं 73 के अनुसार—दस्तावेज की प्रयोज्यता—यद्यपि दस्तावेज स्वीकार हो जाए तो भी उसकी विषय वस्तु साबित की जानी होगी। वादीगण का अभिवचन है कि विवादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों व उप पंजीयक से मिलकर दिनांक 07.08.1992 को छल पूर्वक विक्रय पत्र संपादित करा लिया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में इसको प्रमाणित करने का भार वादी पर था, किन्तु वादीगण की ओर से इस संबंध में कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह प्रमाणित हो की विवादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र छल पूर्वक संपादित कराया गया था। इसके अलावा वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **वासुदेव वि० टीकाराम 1994 एम.पी.डब्ल्यू.एन** प्रस्तुत किया है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के आलोक में अभिनिर्धारित किया कि रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख जिसका अभिलेख उप रजिस्टार कार्यालय में रखा जाता है लोक दस्तावेज है और ऐसे विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राह्य हैं। उक्त न्याय दृष्टांत के अनुसार कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रीकृत है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि को साक्ष्य में ग्राह्य माना गया है जबकि प्रतिवादी की ओर से मूल विक्रय पत्र ही न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

उक्त न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये जाने से भी वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतः वाद प्रश्न क्र० 3 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

21— इसके अलावा वादीगण का अभिवचन है कि विक्रयपत्र दिनांक 07.08.1992 वादीगण के स्वत्व के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है तथा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि चूंकि विवादग्रस्त भूमि पट्टे की होकर अहस्तातरणिय थे इसलिये मृतक कल्ला को उक्त विवादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था और मृतक कल्ला द्वारा किया गया विक्रय पत्र शून्य और निष्प्रभावी है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में **सबीना पार्क रिसर्ट्स एण्ड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड वि० स्टेट ऑफ़ एम.पी. एण्ड अदर्स एम.पी.एल.जे 2012** प्रस्तुत किया है जिसमें म०प्र० भू राजस्व संहिता की धारा 165 (7-बी)-पट्टा भूमि-कलेक्टर से अनुमति लिये बगैर विक्रय - विक्रय का लेनदेन प्रारम्भ से ही शून्य होगा। म०प्र० भू राजस्व संहिता की धारा 165(7-बी) के अनुसार किसी ऐसी जन्म जाति के जिसे आदिम जनजाति होना घोषित किया गया हो, भूमि स्वामी के खाते में समाविष्ट कोई भूमि बेची जाने के दायित्वधीन नहीं होगी। विवादग्रस्त भूमि का विक्रय कल्ला पुत्र दरउ जाति गडरिया द्वारा किया जाना दर्शित है जोकि जनजाति का सदस्य नहीं है, ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त न्याया दृष्टांत के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

22— वादीगण की ओर से न्यायालय तहसीलदार चंदेरी की दायरा पंजी वर्ष 1994-95 प्र.डी. 34 एवं न्यायालय तहसीलदार चंदेरी की आदेश पत्रिका दिनांक 04.06.1993 से 31.07.1995 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी. 35 एवं प्र.डी. 38 लगायत 39 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। वादी की ओर से राजस्व न्यायालय तहसील चंदेरी की आदेश पत्रिका दिनांक 31.07.1991 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने से दर्शित है कि उक्त प्रकरण में आपत्तिकर्ता मैदाबाई विधवा निरन सिंह जाति लोधी निवासी बामौर हुरा द्वारा प्रतिवादी रामसेवक आदि के नाम विवादग्रस्त भूमि के नामांतरण होने के संबंध में इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि कल्ला पुत्र दरउ द्वारा विवादग्रस्त भूमि मैदाबाई को पूर्व में विक्रय कर दी गई थी किन्तु राजस्व न्यायालय तहसीलदार चंदेरी के आदेश दिनांक 13.06.1994 अंतर्गत धारा 109/110 म०प्र० भूराजस्व संहिता 1959 में पारित आदेश में राजस्व न्यायालय ने मैदाबाई द्वारा राजस्व न्यायालय के समक्ष उक्त विक्रय विलेख जो उसके पक्ष में कल्ला पुत्र दरउ द्वारा किया जाना व्यक्त किया गया था, प्रकट न करने से उसकी आपत्ति को राजस्व न्यायालय ने निरस्त कर दिया था।

23— प्रतिवादी रामसेवक आदि एवं मैदाबाई के मध्य राजस्व न्यायालय में राजीनामा हो जाने के कारण वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत प्र.डी.1 के मूल विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता कल्ला पुत्र दरउ के वजाय प्रतिवादी रामसेवक पुत्र नारायण जू, कोमल,

शीतल पुत्रगण बहोरे, मनोहर, विजय सिंह पुत्रगण श्रीलाल के हित में स्वीकार किया गया एवं उक्त आदेश में पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-बी) का उल्लंघन नहीं होता है क्योंकि विक्रेता अर्थात् कल्ला पुत्र दरउ गडरिया अनुसूचित जनजाति वर्ग का नहीं है। इस प्रकार स्वयं वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादीगण का उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय में विधिवत नामांतरण हुआ था, इसके अलावा वादीगण की ओर से प्रस्तुत नामांतरण पंजी 91 दिनांक 31.10.92 आदेश दिनांक 29.11.92 की प्रमाणित प्रतिलिपि में वादग्रस्त भूमि के विक्रेता कल्ला पुत्र दरउ गडरिया को शासकीय पट्टा की जगह भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त होने का उल्लेख है। इस प्रकार जहां की वादीगण अपना स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहे हैं वहां यह प्रमाणित नहीं होता है कि विक्रय पत्र दिनांक 07.08.1992 वादीगण के स्वत्व के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है। ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त भूमि का राजस्वत रिकार्ड में अपने नाम नामांतरण कराने के भी हकदार नहीं है। अतः वाद प्रश्न क्र० 4 व 5 का निराकरण भी **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र० 6:—

24— प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावे के पैरा 16 में यह अभिवचन किया है कि वादपत्र के उन्मान में वादीगण क्र० 4 सुरेश तथा वादीगण क्र० 14 ब्रजकुमारी को पक्षकार बनाया गया है, जबकि वाद पत्र के पद क्र. 1 में जो वंश वृक्ष वर्णित किया गया है उसमें दोनों के नाम का कोई उल्लेख नहीं है तथा प्रकरण में प्रतिवादी क्र० 8 के रूप में भानूमति को पक्षकार बनाया गया है जबकि भानूमति नाम की कोमल की कोई पुत्री नहीं है, इस कारण प्रकरण में कुसंयोजन एवं असंयोजन का दोष है। यद्यपि वादप्रश्न क्र० 6 के संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। कुसंयोजन का तात्पर्य है कि प्रकरण में अनावश्यक पक्षकारों को जोड़ा जाना एवं असंयोजन का तात्पर्य है कि प्रकरण के आवश्यक पक्षकारों को प्रकरण में शामिल न किया जाना। यद्यपि वादी की ओर से संशोधन के माध्यम से दिनांक 29.09.16 को प्रतिवादी क्र० 8 भानूमति के नाम को संशोधित करवाये जाकर धनमति किया जा चुका है। आदेश 1 नियम 9 के अनुसार कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के, जो उसके वस्तुतः समक्ष हैं, अधिकारों और हितों का संबंध है। इस प्रकार ऐसी कोई परिस्थिति दर्शित नहीं है कि प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन का दोष है तथा न्यायालय प्रभावी डिक्री उक्त संबंध में पारित नहीं कर सकता है। अतः वादप्रश्न क्र० 6 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क0 7 :-

25— प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावे में यह अभिवचन किया गया है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने की सहायता चाही गई, इस कारण उन्हें वादग्रस्त भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर वादपत्र का मूल्यांकन कर उसपर विधि अनुसार न्यायालय शुल्क अदा किया जाना चाहिए था जो वादीगण द्वारा नहीं किया गया है। परन्तु इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी द्वारा वर्तमान वाद में मूल्यतः स्वत्व घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा वाद का मूल्यांकन 2000/- रुपये कायम किया जाकर स्वतत्त्व घोषणा हेतु न्यायालय शुल्क 500/- रुपये किया गया है तथा प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र प्र.डी.1 के अनुसार भी वादीगण उक्त विक्रय पत्र में पक्षकार नहीं है। **लक्ष्मीकांत दुबे वि0 प्यारिया (श्रीमती) 2002(2) एम.पी.एल.जे. 44= 2002(1) म.प्र.वी.नो. 184** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय शुल्क अधिनियम की अनुसूची 2 अनुच्छेद 17 के अनुसार, व्यक्ति, जो विक्रय अभिलेख में पक्षकार नहीं है और जो उसके द्वारा आबद्ध नहीं है, वह विक्रय विलेख में बतलाए गए प्रतिफल के आधार पर मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क का संदाय करने के लिये अपेक्षित नहीं है। वादी द्वारा मूलतः उक्तानुसार मूल्यांकन कर न्यायालय शुल्क अदा किया गया है जो उचित है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 7 का निराकरण प्रमाणित के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क0 8:-

26— प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे के पैरा 11 में व्यक्त किया गया कि विक्रय पत्र दिनांक 10.08.1992 को संपादित किया गया था तभी से वादीगण को विक्रय पत्र की जानकारी है, इस कारण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र **अवधि बाह्य है।** किन्तु वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावे के पैरा 9 में वाद कारण दिनांक 21.11.14 होना व्यक्त किया है तर्क के दौरान भी वादी ने स्पष्ट किया है कि वाद कारण दिनांक 21.11.14 को उत्पन्न होने से वाद अवधि बाह्य होना प्रकट नहीं है किन्तु स्वयं वादी साक्षी राकेश द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 13 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके न्यायालयीन कथन अर्थात् दिनांक 09.12.2016 से लगभग 5 साल पहले विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम होने की जानकारी हो गई थी अर्थात् दिनांक 09.12.16 से 5 वर्ष पूर्व वर्ष 2011 में वादी के कथनानुसार उसे विक्रय की जानकारी हो गई थी। स्वत्व घोषणा हेतु वाद परिसीमा अधिनियम के सूची क्रमांक 58 के अनुसार वाद कारण दिनांक से 03 वर्ष के भीतर लाया जा सकता है और वादी द्वारा दिनांक 26.10.2015 को न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया है अर्थात् परिसीमा अधिनियम की सूची क्र0 58 के अनुसार वादी को वर्ष 2014 में दावा प्रस्तुत किया

जाना चाहिए था किन्तु वादी द्वारा दिनांक 26.10.2015 को न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत दावा भी अवधि बाह्य है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 8 का निराकरण “प्रमाणित” के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क्र० 9:-

सहायता एवं व्यय

27— उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विश्लेषण के उपरान्त अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादी अपना दावा अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः वादी का वाद निरस्त कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है।

1. वाद निरस्त किया जाता है।

28— वादी स्वयं का एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।

29— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियम 523 म0प्र0 सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

वाद प्रश्न क्र० 2, 3, 4 एक दुसरे से संबंधित होने व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।